Uday Today

JAIPUR | FRIDAY, 29 NOVEMBER 2024

साइबर-बुलीइंग, साइबर अपराध और साइबर उत्पीड़न- भारत के संदर्भ में चुनौतियाँ और सख़्त कदम उठाने की ज़रूरत: अक्षत खेतान

जयपुर,(उदय टु डे)। अखिल भारतीय स्तर पर कानूनी सलाह उपलब्ध कराने वाली अग्रणी संस्था, कॉर्पोरेट एडवाइजरी एंड लीगल सर्विसेज (ष्टरु) ने भारत में साइबर-बुलीइंग के ख़तरे का सामना कर रहे हर व्यक्ति की अनमोल जिंदगी बचाने और उसकी हिफाज़त करने के लिए, साइबर-बुलीइंग, साइबर अपराध एवं साइबर उत्पीड़न के क्षेत्र में नई राह दिखाने वाली पहल की शुरुआत की है। आज के डिजिटल जमाने में टेक्नोलॉजी में हो रही प्रगति के साथ लोगों के बीच आपसी संपर्क, बातचीत करने और जानकारी साझा करने के तरीके में बड़े पैमाने पर बदलाव आया है। हालाँकि, टेक्नोलॉजी में इस जबरदस्त प्रगति ने साइबर-बुलीइंग, साइबर अपराध और साइबर उत्पीड़न जैसी नई चुनौतियों के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं, जो भारत के साथ-साथ दुनिया भर में एक बड़ी

सामाजिक चुनौती के तौर पर उभरकर सामने आ रहे हैं। भारत जैसे देश में ये समस्याएँ विशेष रूप से गंभीर हैं, जहाँ इंटरनेट के उपयोग में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। परंतु सामने आने वाले ऑनलाइन ख़तरों की तुलना में इसे नियमों के दायरे में लाने वाली व्यवस्था और जागरूकता काफी पीछे है।इस मौके पर, कॉर्पोरेट एडवाइजरी एंड लीगल सर्विसेज (ष्टरु) के संस्थापक, श्री अक्षत खेतान ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, भारत धीरे-धीरे डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसलिए साइबर-बुलीइंग, साइबर अपराध और साइबर उत्पीड़न की वजह से सामने आने वाले ख़तरों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। नीति निर्माताओं, शिक्षकों, कानून लागू करने वाली संस्थाओं और आम लोगों को इन समस्याओं पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। भारत इस मुद्दे के सभी पहलुओं को शामिल करने वाला कानूनी ढांचा तैयार करके, लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाकर और कानून लागू करने वाली संस्थाओं को मजबूत करके, इन ऑनलाइन ख़तरों के हानिकारक प्रभावों को कम करने की शुरुआत कर सकता है, साथ ही यह सुनिश्चित कर सकता है कि इंटरनेट अपने सभी उपयोगकर्ताओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित बना रहे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में हर साल साइबर धोखाधड़ी के लगभग 77769 मामले दर्ज किए जाते हैं और लगातार बढ़ रही इस समस्या पर काबू पाने के लिए पर्याप्त कानूनी उपायों की आवश्यकता है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए, ष्टरु पीड़ितों को हालात से उबरने में मदद करने के लिए युवा सलाहकारों की सेवा उपलब्ध कराएगा, साइबर अपराध पुलिस टीम की मदद करेगा, कानूनी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेगा, साथ ही पूरे राजस्थान के कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर जनसंपर्क कार्यक्रमों एवं सामाजिक अभियानों का संचालन भी करेगा। इसके अलावा, समाज को इस समस्या के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए, ष्टरु की ओर से सेमिनार, सम्मेलनों, पैनल चर्चाओं, केस स्टडी के विश्लेषण, रोड-शो, वॉकथॉन, कैंडल-लाइट मार्च, स्किट, कला प्रदर्शनी, वाद-विवाद जैसी गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा।